न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 83/2017

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00372

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सोजत जरिये अधिकृत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धागड़वास, तहसील सोजत जिला पाली राज		1. पप्पु कंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपुत निवासी धांगड़वास तहसील सोजत 2. ग्राम पंचायत चाड़वास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली 3. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति —

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 26/12/2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.06.2014, मिसल संख्या 13/2013—14 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धागड़वास तहसील सोजत में खसरा नम्बर 401 तथा 403 की भूमि राजस्व रेकर्ड में शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 401 में विद्यालय भवन बना हुआ है व खसरा नम्बर 403 की भूमि विद्यालय के खेल मैदान के रूप में उपयोग ली जा रही है। उक्त खसरा नम्बर 403 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 ने नाजायज कब्जा कर ग्राम पंचायत से मिली भगत कर बिना मौके एवं राजस्व रेकर्ड की जाचं किये विधिविरूद्ध तरीके से शिक्षा विभाग की आराजी में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जो काबिल निंरस्त योग्य है। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में ग्राम धांगड़वास के निवासियों द्वारा तहसीलदार सोजत एवं विकास अधिकारी सोजत के समक्ष प्रार्थना पेश कर अवैध पट्टे की शिकायत की, जिस पर पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.08.2015 के अनुसार भी अप्रार्थी संख्या 01 ने जैर आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है तथा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हस्तगत पट्टा जारी करवा रखा है, जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

शिवपुरा में प्राथमिकी दर्ज की है। पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में पट्टा देने का हक अधिकार है, किसी संस्था/सरकारी भूमि या किसी की खातेदारी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों को ताक में रख कर पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पंहुचाने की नियत से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जो विधिविरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 316 में स्थित है, जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 01 का वर्षों से कब्जा है, जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के समक्ष जैर आराजी का पट्टा बनवाने हेतु पंचायत राज नियमों के तहत विधिवत तरीके से प्रार्थना पेश किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो विधि सम्मत है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जैर आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एवं 110, 111, 128 व 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत एक वाद प्रकरण संख्या 122/2021 पेश कर ग्राम धांगड़वास के सेटलमेंट से पुराने खसरा संख्या 210 रकबा 12.5 बीघा यानि 2.0000 हैक्टर भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 401 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा संख्या 402 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टयर व खसरा संख्या 404 रकबा 0.2800 हैक्टयर कुल रकबा 1.0700 हैक्टर कृषि भूमि से मिलकर बनाये गये है एवं शेष कृषि भूमि 0.9300 हैक्टयर को खसरा नम्बर 316 गै.मु.आबादी में सम्मिलित की गई है। सेटलमेन्ट अधिकारियों की त्रुटि की वजह से दौराने सेटलमेंट पुराने खसरा संख्या 210 रकबा 12.5 बीघा यानि 2.0000 हैक्टर का रकबा सही कायम न कर 12.5 बीघा यानि 2.0000 हेक्टयर के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड़ में मात्र 1.0700 हैक्टर कृषि भूमि ही कायम की गई, शेष 0.9300 हैक्टर कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड व राजस्व ट्रेस नक्शे में बिना इन्द्राज किंये गै.मु. आबादी खसरा संख्या 316 में सम्मिलित कर दिया गया जिसमें अप्रार्थी का जैर आराजी कब्जाशुदा मालिकाना हक व स्वामित्व का भुखण्ड आया हुआ है। जिसकी अप्रार्थी संख्या 01 एक मात्र मालिक है। ऐसे में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार तरमीम किया जाना न्याय संगत है। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 के द्वारा खसरा सख्या 401 से 404 की वर्तमान तरमीम को खारिज करते हुये, पुनः गत खसरा संख्या 210 की तरमीम व वर्तमान मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से खसरा नम्बर 401 से 404 की तरमीम दुरस्त करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया है। जिसकी पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 16.11.2022 व नजरी नक्शा में भी यह माना कि एकीकरण से पूर्व एवं एकीकरण से पश्चात, पूर्व के खसरा नम्बर 210 व नये खसरा नम्बर 401 से 404 में 6 बीघा का अन्तर है एंव अप्रार्थी संख्या 01 पप्पु कवंर पत्नी गणपतसिंह का पट्टाशुदा आराजी खसरा नम्बर 316 गैर मुमकिन आबादी में आता है। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एवं पंचायत राज नियमों की पालना करते हुए किया जो विधि अनुसार जारी किया हुआ है ऐसे में प्रार्थी द्वारा बिना आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत चाडवास, तहसील सोजत द्वारा सकंल्प संख्या 2 दिनांक 06.06.2014, मिसल संख्या 16/2013–14 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि जैर निगरानी पट्टा, खसरा संख्या 403 की भूमि, जो शिक्षा विभाग के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, में जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने, उक्त कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी का रहवासी मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बना हुआ है और ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को आबादी भूमि में ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो नियमानुसार है, इसकी ताईद में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जैर आराजी की मौका रिपोर्ट पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सोजत के मौका निरीक्षण आदेश दिनांक 10.09.2024 की पालना में पटवारी हल्का चाड़वास द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2024 के अनुसार मौजा धागड़वास के खसरा संख्या 316 किस्म गै.मु.आबादी रकबा 7.48 हैक्टैयर भूमि जिसमें हनुमानजी का मन्दिर, पी.एच.ई.डी. क्वाटर, पंचायत की दुकाने का आधा हिस्सा स्थित है तथा पप्पूकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत का रहवासीय कमरा एवं चार दीवारी का भूखण्ड भी खसरा संख्या 316 में स्थित है। साथ ही नजरी नक्शा अनुसार भी रास्ता (जो कि खसरा संख्या 316 में स्थित है) के एकतरफ प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी, जो कि खसरा संख्या 403 व खसरा संख्या 401 है, वह स्थित है तथा दूसरी औरं अप्रार्थी संख्या 01 का रहवासीय मकान स्थित है। लिहाजा यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा, पंचायत की आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

जैर आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में विचाराधीन प्रकरण संख्या 122/2021 अनवान पप्पू कंवर बनाम प्रधानाध्यापक रा.उ.मा.वि. धांगड़वास वगैरा में तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रेषित मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 के अनुसार खसरा संख्या 401 से 404 सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 210 के भाग थे तथा खसरा सख्या 210 का रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा था। सेटलमेन्ट के पश्चात बने खसरा संख्या 401 से 404 का कुल रकबा 1.07 हैक्टेयर यानि लगभग 06 बीघा 14 बिस्वा है, जो अपने मूल खसरा के रकबे से 06 बीघा कम है, जिससे सेटलमेण्ट से पूर्व व बाद के नक्शों की आकार व डिजाईन में अन्तर आने से दोनों नक्शे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते है। साथ ही सुपर इम्पोज करने पर पुराना खसरा संख्या 210 का कुछ हिस्सा वर्तमान खसरा संख्या 316 जो कि गै.मु.आबादी दर्ज है, में आता है तथा वर्तमान मौका स्थिति अनुसार विद्यालय पुराने खसरा संख्या 210 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का मकान खसरा संख्या 316 से सटा हुआ है एवं उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 के द्वारा ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 401 से 404 की वर्तमान तरमीम को खारिज करते हुये तहसीलदार सोजत को गत खसरा संख्या 210 की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तरमीम व वर्तमान मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुये नये सिरे से खसरा संख्या 401 से 404 की पुनः तरमीम करने के आदेश दिये। उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त जहां तक पट्टा जारी करंने कि प्रक्रिया का प्रश्न है तो जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्राथी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.09.2013, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को नक्शा बनाने एवं आदेशिका दिनांक 20.12.2013 के द्वारा मौका निरीक्षण के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत स्थल का जो नक्शा तैयार किया गया है उस पर न तो सायल के हस्ताक्षर है और न ही नक्शा तैयार करने के सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं, इसलिये प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान कार्बनकॉपी है और उपरोक्त बयानात कब लिये गये के सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है। राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.01.2014 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर न तो ग्राम पंचायत की गोल मोहर है और न ही कोई डिस्पेच नम्बर अंकित है तथा नोटिस के सहजदृश्य चस्पानगी के सम्बन्ध में नोटिस की पुश्त पर केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती की कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जिसका क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट है जबकि नियम 157 के अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल – (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुराने गृहों के लिये रू. 100/– तथा (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– का प्रावधान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आशिंक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.06.2014, मिसल संख्या 16/2013–14 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 06.06.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत चाड़वास को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य/दस्तावेजों की जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियमों में विहित क्षेत्रफल एवं प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक २६।१२।२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली